

बला  
म  
को  
गारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

कदमा संख्या :- 10/2021 डा0पत्र

1. भूसा पि0 उफार गुजर लि0 डौडरेडा

प्रार्थी.....

1. आराजण, जोधा पि0 पैगा गुजर लि0 डौडरेडा - तहसील करेडा - जिला भीलवाडा - राजस्थान  
बनाम  
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 6/7/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत र निवेदन किया कि ग्राम डौडरेडा पटवार हल्का विपक्षीगण तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 117 आराजी नम्बर 117 162 32 36 37 47  
48 624 625 659 662 663 666 667  
0-2782/0-1518/0-1170/0-0253/0-632/0-0632/0-2023/0-1012/0-088/0-6070/0-3944/0-2023/0-1138/0-1518/  
 कुल किता 14 रकबा 2.8200 हेक्टर  
 वटेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की मि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/01/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी राने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी ने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते ये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....  
डौडरेडा पटवार हल्का विपक्षीगण तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या  
 आराजी नम्बर 117 162 32 36 37 47 48 624 625  
0-2782/0-1518/0-1170/0-0253/0-632/0-0632/0-2023/0-1012/0-088/0-6070/0-3944/0-2023/0-1138/0-1518/  
659 662 663 666 667  
 कुल किता 14 रकबा 2.8200 हेक्टर  
 हैक्टियर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-  
 अभिलेख निरीक्षक अमित कुमार को 7401/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की जूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

अंगन:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखंड अधिकारी पदेन  
 सहायक कलक्टर करेडा  
 करेडा जिला भीलवाडा



तिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन  
 सहायक कलक्टर करेडा  
 करेडा जिला भीलवाडा